"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 मार्च 2012—चैत्र 6, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 2912 (चैत्र 6, 1934)

क्रमांक-4974/वि.स./विधान/2012.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012) जो दिनांक 26 मार्च, 2012 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 4 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2012

विषय सूची

खण्ड

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 4 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2012

राज्य सरकार द्वारा स्थापित, संधारित अथवा सहायता प्राप्त कुछ शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, नागरिकों के अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के प्रवेश में आरक्षण के लिए तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "शैक्षणिक सत्र" से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष, या उसके किसी भाग की कालावधि, जिसके दौरान कोई शैक्षणिक संस्था अध्यापन के लिए अथवा अध्ययन या संकाय की किसी शाखा में शिक्षण के लिए खुली हो;

(ख) "प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार या किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा या उसकी ओर से संचालित परीक्षा तथा इसमें सम्मिलित है, प्री-मेडिकल टेस्ट (पीएमटी), प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट (पीईटी), प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट (पीएटी) या कोई अन्य परीक्षा चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो;

(ग) "वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या" से अभिप्रेत है शिक्षण संस्थाओं में पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में अध्यापन या शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में सीटों की संख्या;

(घ) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद्, तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद्, भारतीय परिचर्या परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम द्वारा स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय जो किसी शैक्षणिक संस्था में उच्च शिक्षा के स्तर के अवधारण, समन्वयन अथवा संधारण के लिए हो;

(ङ) "अंतिम तिथि(यों)" से अभिप्रेत है धारा 3 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन रिक्त सीटों को भरने के प्रयोजनों के लिए, शैक्षणिक सत्र में अध्ययन या संकाय की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश की ऐसी तिथि(यां) जैसी कि राज्य सरकार या शैक्षणिक संस्था, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा घोषित की जाये;

(च) "शैक्षणिक संस्था" से अभिप्रेत है,—

(एक) छत्तीसगढ़ राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय;

(दो) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था से भिन्न कोई संस्था, जो राज्य सरकार द्वारा, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर

संधारित या सहायता प्राप्त हो, तथा खण्ड (एक) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो;

(तीन) छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई शैक्षणिक संस्था;

(छ) "पात्र विद्यार्थी" से अभिप्रेत है वे विद्यार्थी जो अध्ययन या संकाय की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं तथा ऐसी अर्हताएं धारित करते हैं, जैसी कि समुचित प्राधिकारी या विश्वविद्यालय या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा विहित की जाएं अथवा जहां प्रवेश परीक्षा संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय या निकाय द्वारा, अध्ययन या संकाय की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश के संबंध में, अपेक्षित किए गए अनुसार, जिन्हें पात्र घोषित किया गया हो;

(ज) "संकाय" से अभिप्रेत है किसी शैक्षणिक संस्था का संकाय;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है नागरिकों का/के वर्ग जो समाज के संपन्न वर्ग से संबंधित न हो, जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हों, तथा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रकार अवधारित हो;

(ञ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति;

(ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति;

(ठ) "अध्ययन की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण" से अभिप्रेत है स्नातक (पूर्व-स्नातक), स्नातकोत्तर (अनु-स्नातक) एवं डॉक्टरेट स्तर पर डिप्लोमा या डिग्री प्रदान करने के लिए अग्रणी अध्ययन की किसी शाखा में अध्यापन या शिक्षण.

शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण.

3. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :—

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से, बत्तीस प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी ;

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से, बारह प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी;

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से, चौदह प्रतिशत सीटें, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी :

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें, पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा "विपरीत क्रम" में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा.

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा.

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, इस धारा के अधीन आरक्षण को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए, स्नातकोत्तर या उच्च स्तर में अध्ययन की किसी या सभी शाखाओं की वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या को एकीकृत कर सकेगी, यदि राज्य सरकार की राय में अध्ययन की ऐसी शाखा या शाखाओं को अकेले लेने पर ऐसा आरक्षण नहीं किया जा सकता हो.

विशेष संवर्गों के लिए क्षैतिज आरक्षण.

4. (1) धारा 3 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा.

(2) नि:शक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह धारा 3 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन, यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा.

नियम बनाने एवं कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

5. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती हो, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों से अनसंगत ऐसे प्रावधान कर सकेगी, जैसा कि कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, तथा इस धारा की उप-धारा (2) के अधीन बनाया गया प्रत्येक प्रावधान, इसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

राज्य में उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा में सीटों का आरक्षण अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए, पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में, नागरिकों के इन वर्गों की यथा विद्यमान जनसंख्या के अनुपात के आधार पर वर्तमान में क्रियान्वित किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के फलस्वरूप, नागरिकों के विभिन्न वर्गों के लिए जनसंख्या का अनुपात परिवर्तित हो गया है, साथ में राज्य निर्माण के पूर्व की अपेक्षा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ गया है.

संविधान के अनुच्छेद 15 के खण्ड (5) में यह उपबंधित है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर नागरिकों के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों की शैक्षणिक प्रगति के प्रोत्साहन के लिए तथा इन वर्गों से संबंधित छात्रों के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में, विशेष प्रावधान द्वारा प्रवेश के संबंध में प्रावधान किए जा सकते हैं. इस प्रावधान के संदर्भ में, राज्य विधानमण्डल समाज के कमजोर वर्गों की शैक्षणिक प्रगति के लिए युक्तियुक्त विधि बनाने के लिए सशक्त है.

उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावी बनाने की दृष्टि से, राज्य सरकार द्वारा स्थापित, संधारित अथवा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में कमजोर वर्गों हेतु सीटों के आरक्षण के लिए वैधानिक प्रावधान करना समीचीन एवं आवश्यक है. इन कमजोर वर्गों की शैक्षणिक प्रगति छत्तीसगढ़ में, जहां नागरिकों के ऐसे वर्गों की विशाल जनसंख्या है, मानव संसाधनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेष तौर पर अनुसूचित जातियां जो उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षण की पहुंच से दूर हैं. अतएव, इस पर विचार करते हुए यह आवश्यक माना गया है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं तक उनकी पहुंच के संबंध में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से उत्पन्न असाधारण स्थिति को दूर करने हेतु अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में आरक्षण के उच्च प्रतिशत का उपबंध किया जाए.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख 21 मार्च, 2012

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2012 के खण्ड 5 में प्रावधानित शक्तियों के प्रत्यायोजन की व्यवस्था है. उक्त के आधार पर छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2012 प्रारूप में विधि संबंधी शक्तियों का प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर विधि सम्मत आवश्यक कार्यों का क्रियान्वयन किया जा सकेगा तथा शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश दिये जा सकेंगे.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.